25/9/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उप०। प्रतिवादी की तरफ से पैरोकार सरकार उप०। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.10.25 को पेश हो।

पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7/10/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार उप०। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा गया। पापक्ष में समय दिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी व आदेश दिनांक 3-11-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3/11/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार उप०। उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन, यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगणों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि चंद्रलाल ही खातेदार है, जिसका ही नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा चंद्रलाल को गलत तरीके से जमाबंदी में खातेदार दर्ज कर दिया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39/24

दायर दिनाँक :– 25.06.2024

निर्णय दिनाँकः– 03.11.2025

उनवान :– रीना बाई वगै0

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री अशोक कुमार लववंशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थीगण रीना बाई, रिंकु कुमारी, सुमित्रा पुत्री चन्दालाल एवं उमराव बेवा चन्दालाल जाति लोधा निवासी गांवडी मजरा रीछडी तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम रीछडी तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 447 (पुराना 7) की खसरा संख्या 1334/23 की 0.1295 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगणों के पिता/पति हरचंद के शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगणों के पिता/पति का नाम "हरचंद पिता श्रीलाल" दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थीगणों के पिता/पति का नाम "चन्दालाल पिता श्रीलाल" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है। प्रार्थीगणों के पिता/पति का देहांत 20.09.2021 में हो चुका है।

आगे वाद में कहा गया है कि पिता/पति के नाम की इस त्रुटि के कारण वादीगण को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। वादीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

अतः प्रार्थीगण ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम रीछडी के उक्त खसरा नंबर में प्रार्थीगणों के पिता/पति का नाम "हरचंद" के स्थान पर "चन्दालाल " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थीगण ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/सरकार पैरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी/सरकार पैरोकार उक्त वाद में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे साबित होता हो कि हरचंद व चंदालाल एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगणों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि चंदालाल ही हरचंद है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा चंदालाल को गलत तरीके से जमाबंदी में हरचंद दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना